

10-2-18 पञ्जाबली फेश हुई। अकील साखी उपस्थित है।
 146 फुल्लेन उपस्थित गिरदावर इलका-ओबनेम
 ने रिपोर्ट पेश की है कि कादरुल शरीर 20
 2011-29 में किरम लालाबी दर्ज है जो प्रकरण
 अब्दुल रहमान से सम्बन्धित है इसलिये किरम
 परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। पञ्जाबली
 का अवलोकन किया गया जो अहमदन में भी
 लालाबी दर्ज है कादरुल शरीर अब्दुल रहमान
 प्रकरण के लिये किरम परिवर्तन किया जाना
 सम्भव नहीं है अतः साखी का प्राप्ति पत्र
 136 का खसिम किया गया। पञ्जाबली फेशल
 शहर होकर दर्ज नम्बर सेका है। आदेश खुली
 लोक अदालत न्यायालय टाना में सुनाया गया।

1/12
 उप खण्ड अधिकारी
 साँभर लेक